



Speed Post

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-894/JH/16/2023-SSW

दिनांक: 25/05/2023

Shri Aboobacker Siddique P
Secretary,
Department of Mines and Geology,
Govt. of Jharkhand,
Ranchi-834002 (Jharkhand)
(Ph No. 0651-2490174)
(Email: secretarymines.jhr@gmail.com)

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार द्वारा प्रताडित करने के संबंध - श्री योगेन्द्र बडाईक, प्रभारी सहायक खनन पदाधिकारी, रांची, झारखंड का दिनांक 27.01.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री योगेन्द्र बडाईक से दिनांक 27/01/2023 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोग डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष नं. 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. Yogendra Baraik,
Near R.B. Electronics,
Sada Bahar Chowk, Nmakum Bazar,
Ranchi - 834010 (Jharkhand)
(Mobile No: 7781072479)

2. ✓ NIC, NCST (please upload on the website)